ई-मेल

# कार्यालय जिलाधिकारी,सम्भल

पत्रांक : 1769/N-13/889/2022/जनाल    दिनांक : 18/12/23

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।

**विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम यू0पी0 पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. सं0 889/2022 जीतू यादव बनाम यू0पी0 पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में जनपद सम्भल में अवैध रुप से संचालित ईट भट्ठों के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है (छायाप्रति संलग्न)।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी

DM

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट,

चन्दौसी-सम्भल(उ0प्र0)

9454416870 sdmchandusi@gmail.com


पत्रांक- 31 /एस0टी0/ 2023-24 दिनांक 13.12.23

जिलाधिकारी
सम्भल।

महोदय,

कृपया आपके आदेशों के कम में तहसील चन्दौसी क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों पर की गयी कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

इस सम्बन्ध में तहसील चन्दोसी क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से संचालित ईट भट्टो पर की गयी कार्यवाही का विवरण निर्धारित प्रारूप पर निम्नवत् है।

| क0सं0 | तहसील का नाम | ईट भटटे का नाम | किस दिनांक को कार्यवाही की गयी | क्या कार्यवाही की गयी | फोटो ग्राफ | समाचार पत्र की कटिग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01. | चन्दौसी | हिन्दुस्तान ईट उद्योग पुरा | 08.01.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | 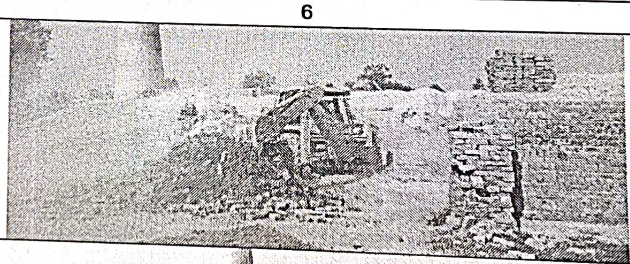 | – |
| 02. | चन्दौसी | भारत ईट उद्योग पुरा | 08.01.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | | – |
| 03 | चन्दौसी | सिंह ईट उद्योग मुडियाखेडा | 08.01.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | चन्दौसी | मौ0 दवैना बिक वर्क्स छावडा | 17.01.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | 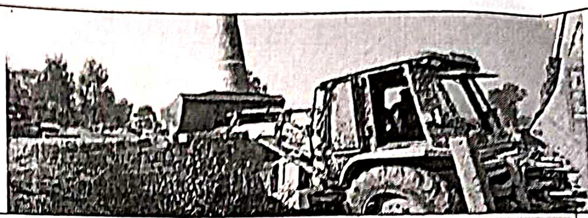 | — |
| 05. | चन्दौसी | शक्ति पीठ ईट उद्योग सराय सिकन्दर . | 17.01.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | | — |
| 06. | चन्दौसी | नारायण हरि ईट उद्योग भाटोर | 17.01.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | 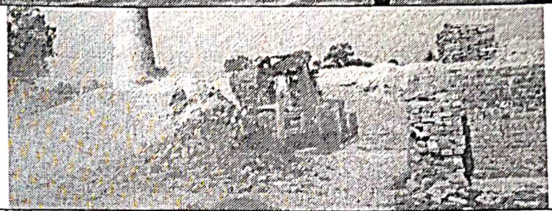 | — |
| 07. | चन्दौसी | जी0जी0आर0 बिक वर्क्स छावडा | 24.02.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | 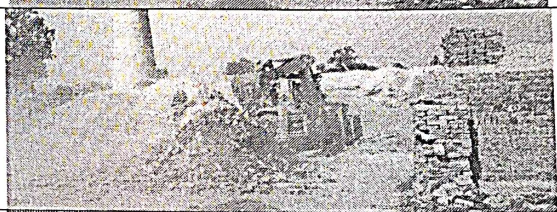 | — |
| 08. | चन्दौसी | जय भोले बाब ईट उद्योग पुरा | 24.02.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन वनद कराय गया | 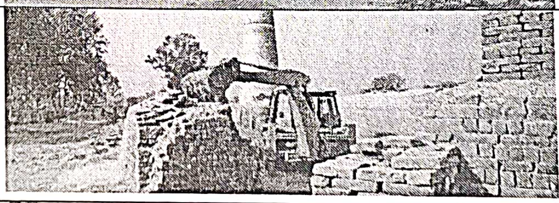 | — |
| 09. | चन्दौसी | सिद्वार्थ विक उद्योग असालतपुर जारई | 24.02.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन वनद कराय गया | 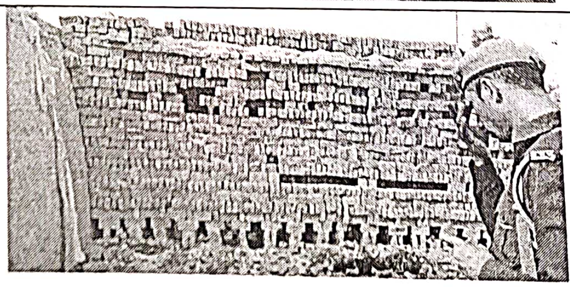 | — |
| 10. | चन्दौसी | गनेश बिक वर्क्स मुडिया खेडा | 24.11.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | 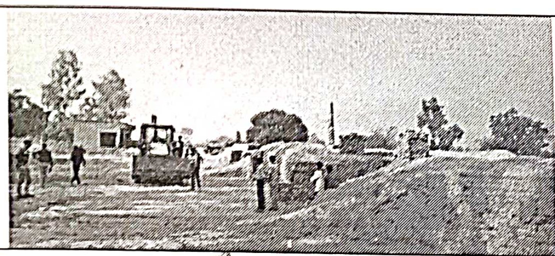 | — |
| 11. | चन्दौसी | शिवहरि साकार ईट उद्योग खेडाखास | 24.11.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | | — |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | चन्दौसी | कादरी बिक फील्ड मौहम्मदपुर बावई | 24.11.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | | | | — |
| 13 | चन्दौसी | काजल बिक वर्क्स मुडियाखेडा | 10.12.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | | | | — |
| 14 | चन्दौसी | राममूर्ति बिक वर्क्स मुडियाखेडा | 10.12.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | | | | — |
| 15. | चन्दौसी | कलावती बिक वर्क्स मुडिया खेडा | 10.12.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | | | | — |
| 16. | चन्दौसी | श्रीकृष्णा ईट उद्योग मुडियाखेडा | 10.12.2023 | आग बन्द कराकर भटटे का संचालन बनद कराय गया | | 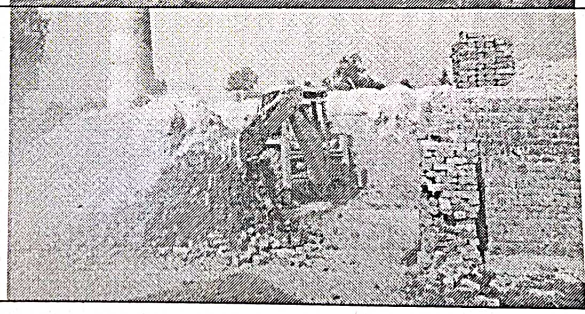 | | — |

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः—यथोपरि

उप जिलाधिकारी
चन्दौसी

# कार्यालय उपजिलाधिकारी सम्भल।

संख्याः 1105 /एस0टी0–2023/ दिनांक– 13, दिसम्बर, 2023

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
सम्भल।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक 891/खनन–2023 दिनांक 22.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आवेदन नं0–889/2022(आई0ए0 नं0–321/2022) जीतू यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दिनांक 06.10.2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में जनपद मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर व अमरोहा में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों पर कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। उपरोक्त आदेश का अनुपालन कराते हुए तहसील क्षेत्रान्तर्गत अवैधरूप से संचालित ईंट भट्टों पर की गई कार्यवाही के फोटो तथा पेपर कटिंग सहित आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि तहसील सम्भल क्षेत्रान्तर्गत अधिनस्थों को कड़ाई से निर्देशित किया गया है कि बिना वैद्य कागजात के कोई भी ईंट भट्टा संचालित न होने पाये। पूर्व में तहसील सम्भल क्षेत्रान्तर्गत बिना वैद्य कागजात के संचालित 1– माजिद ब्रिक वर्क्स तिगरी, 2– सांई ब्रिक वर्क्स तिगरी, 3–कोहिनूर ईंट कम्पनी तिगरी, ईंट भट्टा इकाईयों द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद एवं रॉयल्टी आदि से सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में इनके विरूद्ध दिनांक 24.02.2023 को सीजर की कार्यवाही की गई थी।

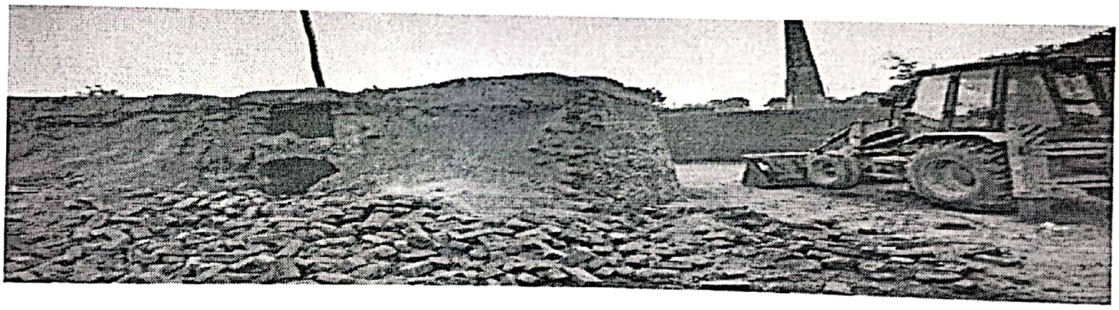

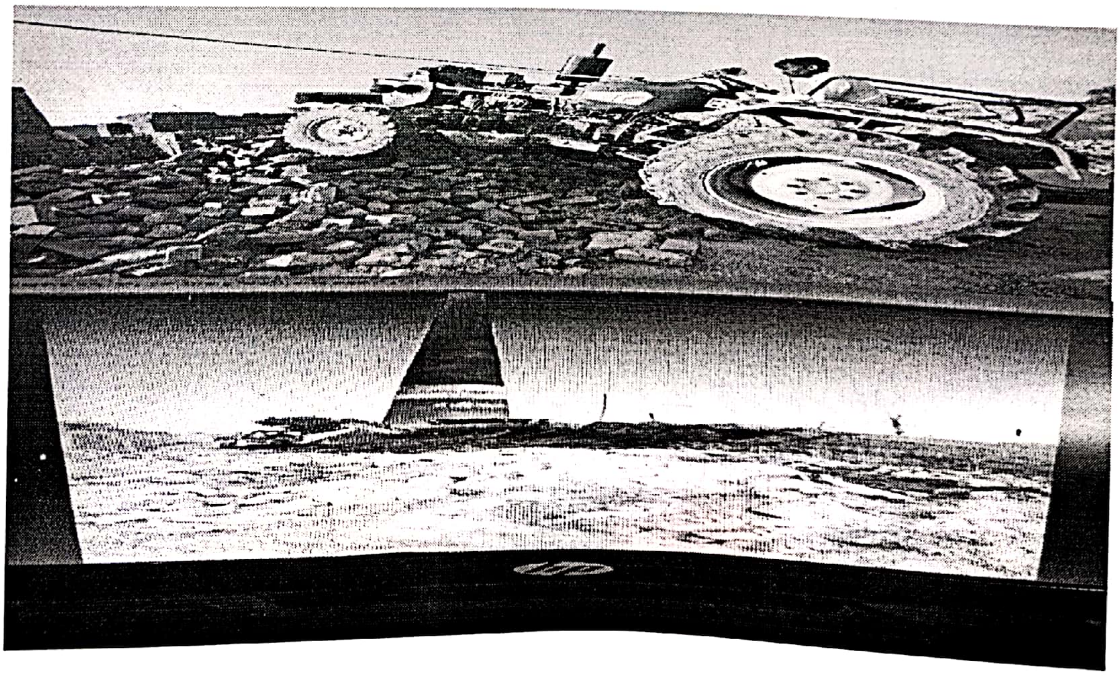

दिनांक 25.02.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण एवं खनन निरीक्षक/अधिकारी सम्भल के साथ संयुक्त रूप से 4–एच0के0ब्रिक वर्क्स रहटौल, 5– अरहम ब्रिक वर्क्स बराही, 6– इलाही ब्रिक वर्क्स, बराही, 7–न्यू अन्सारी ब्रिक वर्क्स, बराही, 8–एम0ए0ईंट उद्योग बराही, 9–एन0एस0आर0 ब्रिक फील्ड, सीडल माफी, ईंट भट्टा इकाईयों द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद एवं रॉयल्टी आदि से सम्बंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए सीजर की कार्यवाही की गयी।

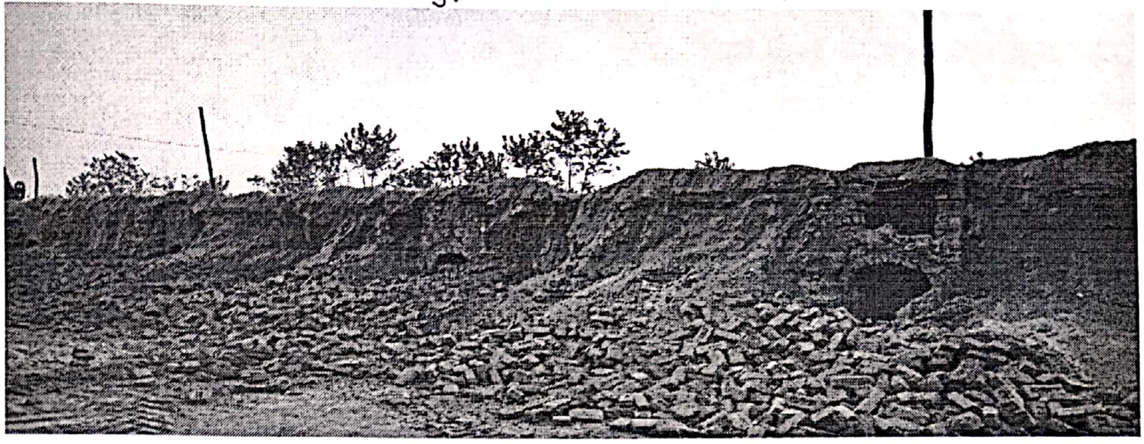

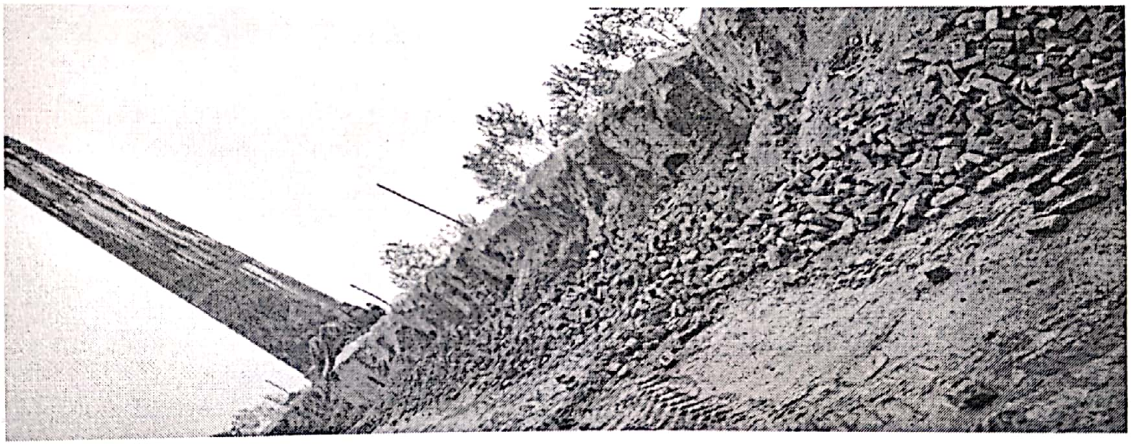

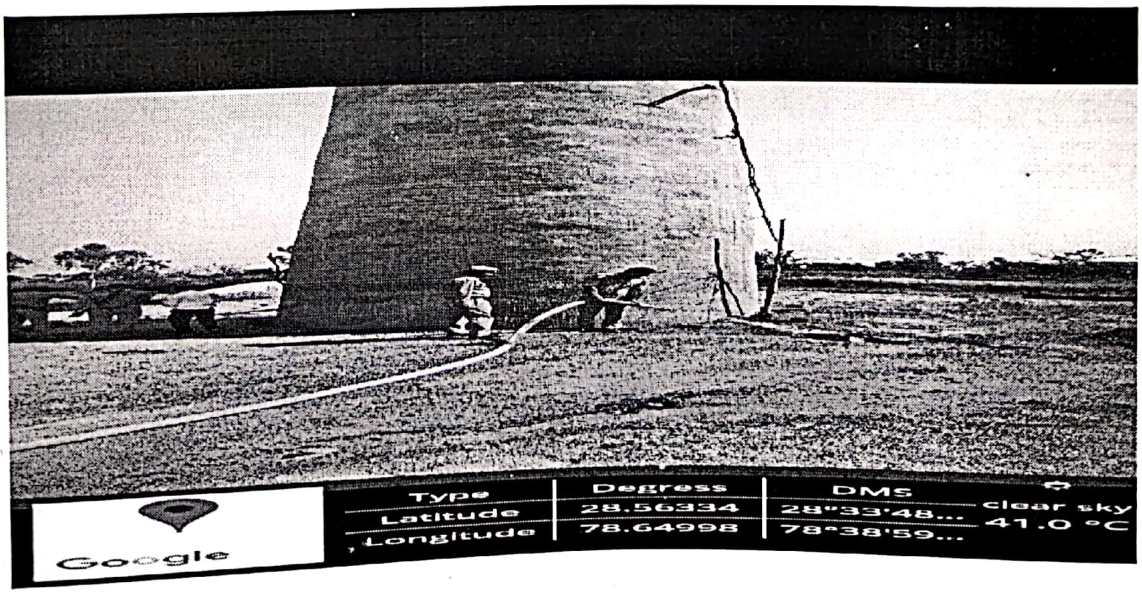


Scanned with CamScanner

दिनांक 16.05.2023 को 10–मखदूमी ईंट उद्योग ओबरी, 11–अलमदीना व्रिक फील्ड रचैटा, 12–असद उल्लाह व्रिक फील्ड रचैटा, 13– सकलेनी व्रिक वर्क्स रचैटा पर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण एवं खनन निरीक्षक/अधिकारी सम्भल के साथ नायब तहसीलदार सम्भल द्वारा उपरोक्त भट्टा इकाईयों द्वारा रायल्टी जमा न करने तथा कोई वैध कागजात प्रस्तुत न किए जाने के सम्बंध में उक्त भट्टों पर ईंट पथाई का कार्य बन्द कराकर ईंटें ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी थी, जिसके फोटोग्राफ्स संलग्न है।

Scanned with CamScanner

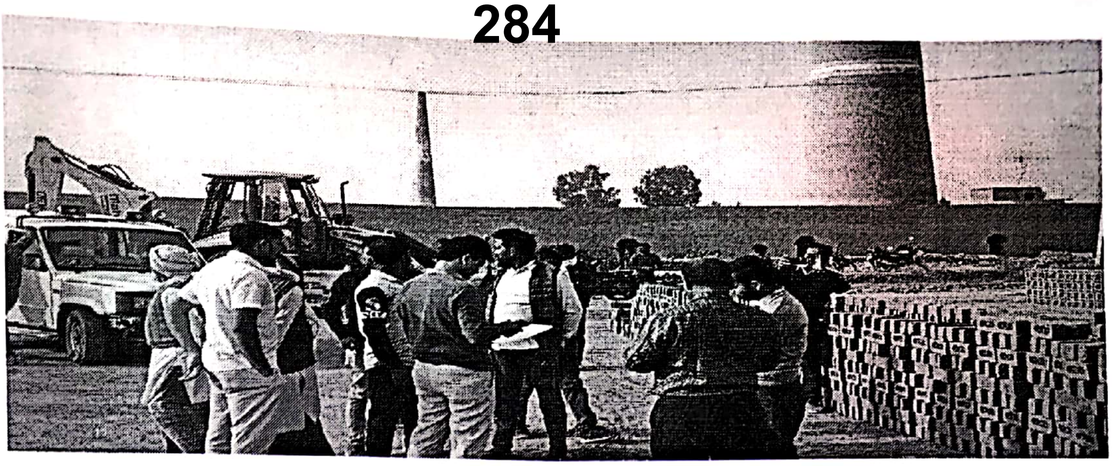

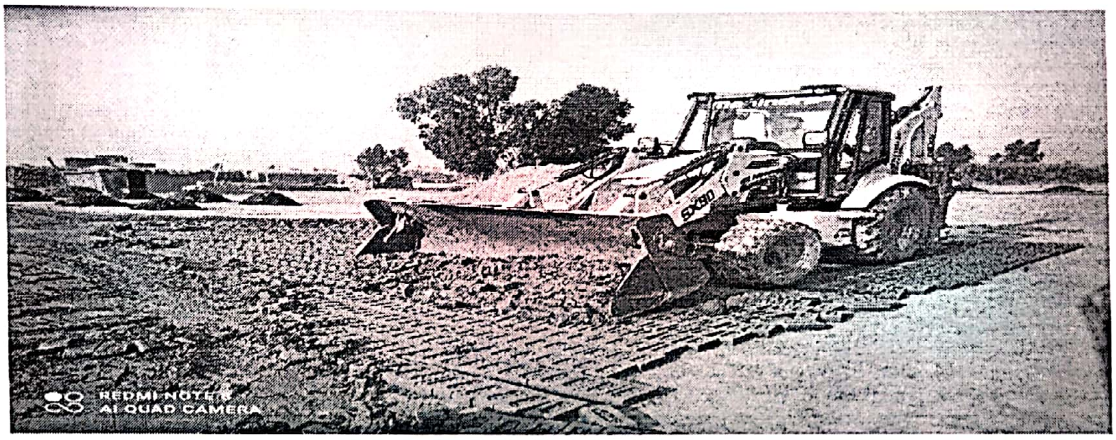


14— एम0एल0के0 ब्रिक वर्क्स गुमसानी, 15— प्रिन्स ब्रिक वर्क्स गुमसानी, 16— न्यू किसान ब्रिक वर्क्स असगरीपुर, 17— जैद ब्रिक वर्क्स मंसूरपुर माफी, 18— चौधरी ईंट उद्योग सिरोली, 19— मदर ब्रिक वर्क्स मातीपुर, 20— ओम ब्रिक वर्क्स धामपुर भट्टा, उपरोक्त ईंट भट्टा इकाईयों पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण एवं खनन निरीक्षक/अधिकारी सम्भल के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर ईंट भट्टों पर आग बंन्द कराकर संचालन बन्द कराने की कार्यवाहियां की गयी।

**बुधवार को एसडीएम ने कराया ईंट भट्ठों पर ध्वस्तीकरण का कार्य, चला बुल्डोजर**

## अधूरे मानक होने पर तीन भट्ठों पर एसडीएम ने कराईं ईंटें ध्वस्त

**कार्रवाई**

संभल/मनोटा, संवाददाता। असमोली थाना क्षेत्र में बुधवार को एसडीएम ने टीम को साथ लेकर मानक पूरे नहीं करने वाले तीन ईंट भट्ठों पर ध्वस्तीकरण का कार्य कराया। ध्वस्तीकरण के दौरान एक ईंट भट्ठा स्वामी एसडीएम के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया लेकिन एसडीएम ने साफ कह दिया कि मानक पूरे नहीं करने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

थाना क्षेत्र में बगैर प्रदूषण प्रमाण पत्र के संचालित ईंट भट्ठों पर कार्रवाई का सिलसिला बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। उप जिलाधिकारी [illegible] और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल ने ईंट भट्ठों पर पहुंचकर मानक चेक किए लेकिन ईंट भट्ठा मालिक मानक पूरे करने के संबंधित प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए। इस पर एसडीएम ने गांव ओबरी में [illegible] ईंट उद्योग, मखदूम शाह ईंट उद्योग और [illegible] ईंट उद्योग पर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया। एक ईंट उद्योग का संचालक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया लेकिन एसडीएम ने एक नहीं सुनी। मानक पूरे नहीं करने पर तीनों ईंट भट्ठों पर ध्वस्तीकरण का कार्य कराया।

असमोली के गांव ओबरी में बुधवार को ईंट भट्ठे पर कार्रवाई करती जेसीबी।

## मानक अधूरे होने पर दो भट्ठे किये ध्वस्त

**कार्रवाई**

संभल/मनोटा, संवाददाता। असमोली क्षेत्र में चल रहे अवैध ईंट भट्ठों के संचालकों द्वारा मानक पूरे नहीं करने पर मंगलवार को नायब तहसीलदार ने टीम के साथ पहुंचकर दमकल कर्मियों से पानी की बौछार कराकर ईंट भट्ठे की चिमनी में जल रही आग को बुझवा दिया। उसके बाद जेसीबी से ईंटों को ध्वस्त करा दिया।

नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल मंगलवार को टीम को लेकर असमोली क्षेत्र के गांव [illegible] में स्थित [illegible] शान ब्रिक वर्क्स पर पहुंचे। ईंट भट्ठा संचालक द्वारा मानकों का पालन नहीं करने पर दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार कर भट्ठे में ईंट पकाने के कार्य को रोक दिया। उसके बाद जेसीबी मशीन से ईंटों को ध्वस्त करा दिया। केजीएन ईंट उद्योग रपैटा के संचालक द्वारा भी अधूरे मानक होने पर नायब तहसीलदार ने जेसीबी से भट्ठे पर ईंटों को ध्वस्त करा दिया। टीम में प्रदूषण विभाग से एसएस चौहान, अनिल कुमार और मोहम्मद आसिफ रहे। वहीं ईंट भट्टों पर कार्रवाई होती देख क्षेत्र के ईंट भट्ठा मालिकों में हड़कंप मच गया। नायब तहसीलदार ने बताया कि जिन ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा रॉयल्टी और प्रदूषण प्रमाण पत्र के साथ अन्य मानक पूरे नहीं किए, उन पर ध्वस्तीकरण का कार्य कराया गया है।

असमोली के गांव रपैटा में ईंट-भट्ठा का ध्वस्तीकरण करती जेसीबी।

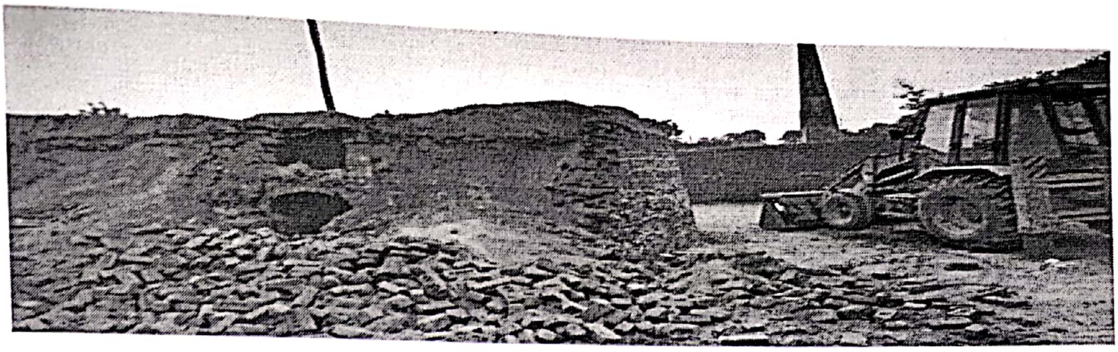

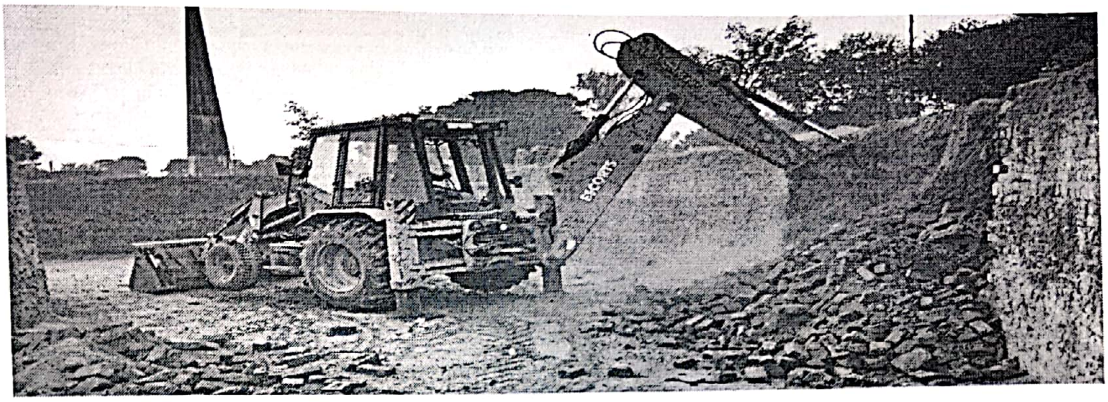

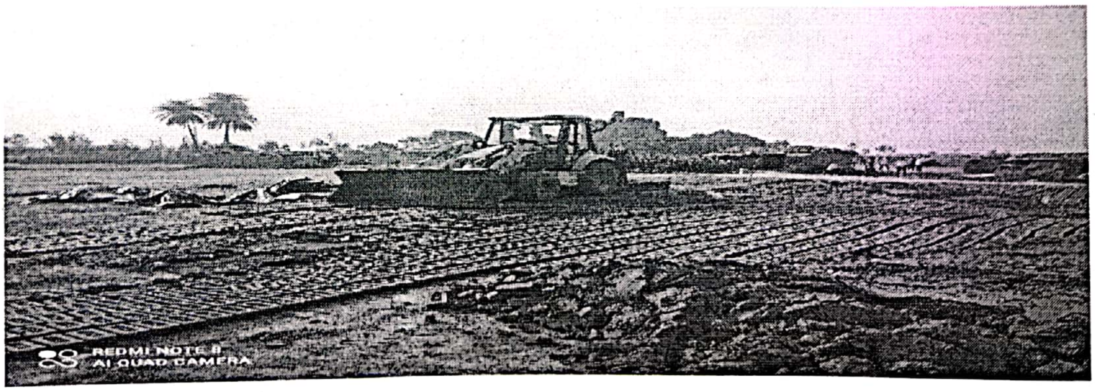


उपरोक्त भट्टा संचालकों द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० शासन व उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद से अनापत्ति प्राप्त किये बिना एव रॉयल्टी जमा किए बिना ही पुनः ईंट भट्टों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया था। उपरोक्त भट्टा इकाईयों पर कार्यवाही करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण एवं खनन निरीक्षक/अधिकारी सम्भल के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर उपरोक्त ईंट भट्टों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए सीजर की कार्यवाही की गयी थी, कृत कार्यवाही के स्थल के फोटोग्राफ्स एवं दैनिक समाचार पत्रों की कटिंग की छाया प्रति संलग्न हैं।

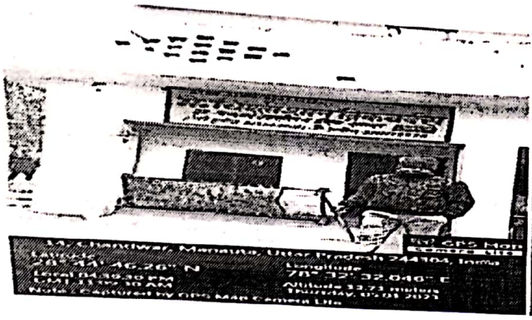

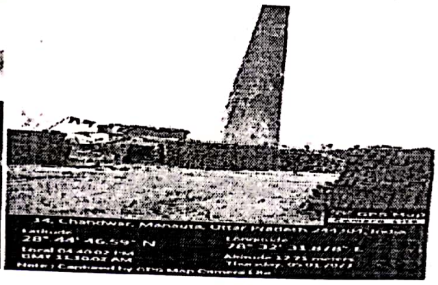

Scanned with CamScanner

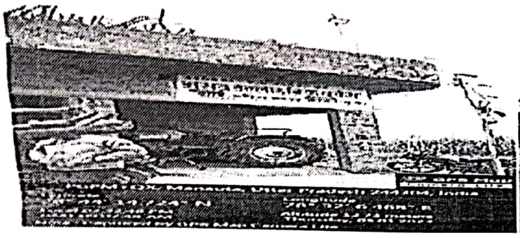

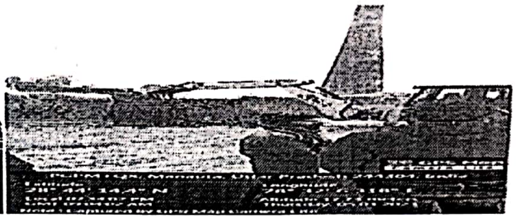

Scanned with CamScanner

संभल जागरण

# रायल्टी न जमा करने पर ईंट भट्ठे को दमकल की गाड़ियों ने बुझाया

## यूरिया की ओवररेटिंग पर चार दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित

Scanned with CamScanner

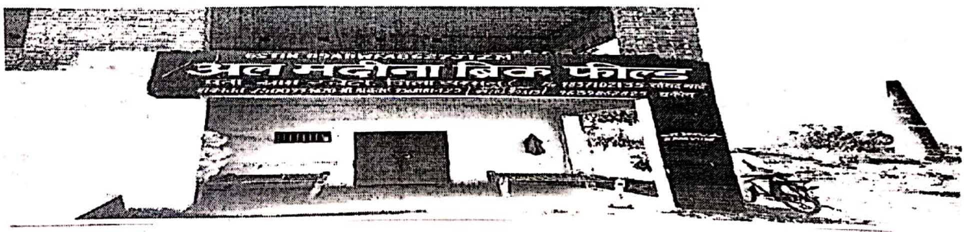


Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

## बिना अनुमति के चल रहे पांच भट्ठे बंद कराए

**असमोली क्षेत्र में एसडीएम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई, बेनीपुर चक में नायब तहसीलदार ने की चेकिंग**

**चंदौसी में तीन भट्ठों पर की गई कार्रवाई**

Scanned with CamScanner

## बिना अनुमति चल रहे भट्ठो पर चला प्रशासन का चाबुक

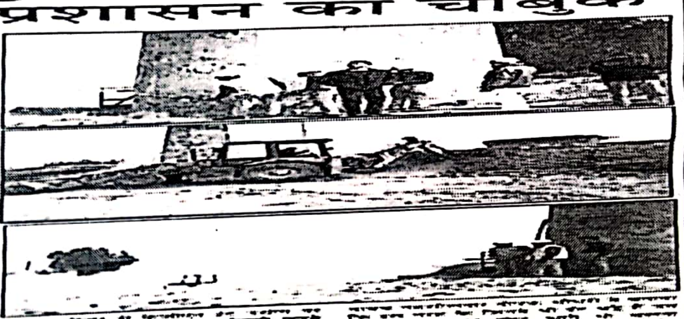

इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक/लेखपाल को निर्देशित कर दिया गया है कि क्षेत्र में सतर्क दृष्टि बनाये रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद से अनापत्ति प्राप्त करनें एवं रॉयल्टी जमा करने के उपरान्त ही ईंट भट्टा संचालित कियें जायें अवैध रूप से कोई भी ईंट भट्टा संचालित न होने पाये। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का तहसील सम्भल क्षेत्रान्तर्गत अनुपालन कराया जा रहा है।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

(सुनील कुमार त्रिवेदी)
उपजिलाधिकारी
सम्भल